न्यायालय राजस्व मंडल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक/ /14-15/विविध

प्रो.टी.आर त्रेहन
कंस्ट्रक्शन लिमिटेड भोपाल रोड देवास
द्वारा प्रोपायटर रंणजीत त्रेहन निवासी
भोपाल रोड देवास

विरूद्व

म.प्र.शाशन द्वारा कलेकटर महोदय देवास

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 35 (3) भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थी की और से प्रार्थना पत्र निम्नानुसारा प्रस्तुत है :-

1- यह कि उपरोक्त उन्वान का प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण क्रमांक 1110/3/08 पर स्थापित होकर तर्क हेतु नियत था उक्त प्रकरण में दिनांक 16.12.14 नियत थी चूंकि प्रकरण के अधिवक्ता सुश्री किरण जुनेजा एवं श्री दिनेश व्यास उज्जैन न्यायालय मे अधिवक्ता है और यह प्रकरण भी पूर्व मे उज्जैन केंप मे विचारित रहा है ऐसी स्थिति मे प्रार्थी एवं उनके अधिवक्ता इस भ्रम मे रहे कि दिनांक 16.12.14 उज्जैन केंप पर नियत है । चूकि दिनांक 16.12.14 को माननीय न्यायालय का केम्प उज्जैन मे भी नियत था इसलिए अधिवक्ता महोदय ने प्रकरण के संबध मे तलाश की उक्त दिनांक को न्यायालय के पेशकार महोदय उज्जैन केंप पर आए थे उनकी दैनन्दिनी मे उक्त प्रकरण नहीं पाया गया ।

2- यह कि तदुपरांत अधिवक्ता महोदय अन्य प्रकरण मे बंदोबस्त कमीशनर ग्वालियर गये तब दिनांक 31.3.14 को इस प्रकण के संबंध में तलाश करने पर ज्ञात हुआ कि संबंधित स्टाफ उपलबध नही है अधिवक्ता महोदय द्वारा अपने सहयोगी अभिभाषक को प्रकरण के संबंध मे जानकारी लेकर बतलाने का आग्रह करने पर अधिवक्ता श्री चर्तुवेदी द्वारा 13.1.15 को टेलीफोनिक सूचना दी गई कि प्रकण दिनांक 16.12.14 को ग्वालियर बोर्ड में नियत होकर उक्त दिनांक को अदम पैरवी मे निरस्त कर दिया गया है ।

3- यह कि प्रकरण खनिज से संबंधित होकर अवेध उदखनन रायल्टी एवं शास्ति से संबंधित है जबकि प्रार्थी द्वारा न तो कोई अवैध उत्खनन किया गया न ही कोई रायल्टी चोरी की गई ऐसी स्थिती मे प्रकरण का निराकरण यदि गुण दोषो के आधार पर नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीयक्षतिहोगी।

4- यह कि नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्वांत है कि पक्षकारों को अपना प्रकरण प्रमाणित करने के लिए पक्ष समर्थन का समुचित अवसर

निरंतर.....2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक Rato 107-प/15 जिला देवास

प्रो. टी.आर. मेहान कंसट्रक्शन लि./ शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.10.2016	आवेदक की ओर से सुश्री किरण जुनेजा अभिभाषक उपस्थित। तर्क सुने गये। अनुपस्थिति का कारण समाधान-कारक होने से यह प्रकरण पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है। (हस्ताक्षर) अध्यक्ष	(हस्ताक्षर)

[क्र